न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 35/ 2017 जिला दौसा

1. नाथी बाई पुत्री सोन्या पत्नी मोहन लाल, जाति बैरवा, निवासी मूण्डिया, तहसील लालसोट, जिला दौसा, हाल निवासी पंचम की फैल मालवा मील मकान नं. 806, इन्दौर (म.प्र.)

अपीलान्ट

बनाम

1. रंग लाल पुत्र सोन्या जाति बैरवा, निवासी मूण्डिया, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. ग्रम पंचायत श्रीमा, पंचायत समिति लालसोट जर्ये सरपंच ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा दिनांक 18.7.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजकुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक– 22.10.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 18.7.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मूण्डिया, तहसील लालसोट, दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में से 1/8 हिस्से का खातेदार नानगा पुत्र नन्दा व 1/8 हिस्से का खातेदार सोनिया पुत्र टुण्डा था । दोनों खातेदार नानगा व सोनिया के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 282 दिनांक 15.8.2001 को ग्रम पंचायत श्रीमा द्वारा रंग लाल पुत्र सोनिया हिस्सा 1/4 के नाम तस्दीक कर दिया । उक्त नामांतरकरण संख्या 282 दिनांक 15.8.2001 से व्यथित होकर नाथी बाई पुत्री सोनिया अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 28.7.2015 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 282 दिनांक 15.8.2001 ग्रम मूण्डिया, ग्रम पंचायत श्रीमा खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वारिसान की विधिवत जॉच कर पुनः निर्णय पारित करें । तहसीलदार लालसोट ने उप खण्ड अधिकारी लालसोट से प्रकरण उन्हें रिमाण्ड होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित पक्षकारान को नोटिस जारी कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2017 द्वारा उपलब्ध रेकार्ड , प्रार्थी के बयान व गवाहान के शपथ पत्र व लिखित बहस व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व शपथ पत्र व नाथी द्वारा प्रस्तुत आर. सी. केन्द्र लालसोट में प्रकरण संख्या 421/14 धारा 420, 467, 468, 120 (बी) भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज प्रकरण में लगाई गई एफ.आर. का अवलोकन कर ग्रम पंचायत श्रीमा द्वारा ग्रम मुण्डिया का नामांतरकरण संख्या 282 तस्दीक दिनांक 15.8.2001 मजमे आम व ग्रम पंचायत के कौरम के समक्ष स्वीकृत किये जाने एवं अपीलान्ट नाथी बाई द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसे मृतक सोन्या की वारिस घोषित की जावे । प्रकरण मृतक नानगा वल्द नन्दा एवं सोन्या पुत्र टूण्डा के उत्तराधिकार से संबंधित होने से

उत्तराधिकार संबंधित निर्णय करने का अधिकार उनके न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से ग्रम पंचायत के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा गया ।

तहसीलदार लालसोट के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.7.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट मृतक सोन्या की पुत्री नाथी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट के नाम नामांतरकरण स्वीकृत करने की आज्ञा पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट मृतक खातेदार सोनिया की एक मात्र पुत्री है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रंगलाल को मृतक खातेदार सोनिया ने कभी गोद नहीं लिया ओर न ही वह अपने आपको सोनिया का पुत्र कहता है बल्कि रंगलाल रेस्पोंडेन्ट अपने आपको मृतक खातेदार नानगा का पुत्र कहता है । ग्रम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार सोनिया की विरासत का नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट रंगलाल के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में प्रथम सूचना रिपोर्ट में एफ. आर. का आधार लिया है जबकि फौजदारी प्रकरण से राजस्व अधिकारी गाईडेड नहीं है । अपीलाधीन आदेश में उत्तराधिकार का प्रश्न तय करने का अधिकार उन्हें नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने का उल्लेख किया है , लेकिन प्रश्नगत नामांतरकरण को कायम रखने में विधिक त्रुटि की है । तहसीलदार द्वारा मात्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रंगलाल को लाभान्वित करने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अतः अपीलान्ट मृतक खातेदार सोनिया की पुत्री होने से अपने पिता की भूमि में हक प्राप्त करने के लिये हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्ररिपेक्ष्य में प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा विधिक वारिस है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं कानून के विपरीत पारित किया है, जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर सोनिया की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक करने के आदेश पारित किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक खातेदार सोनिया व नानगा का एक मात्र वारिस रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रंगलाल है । विवादित भूमि का मूल खातेदार छोट्या था जिसके बाद भूमि नानगा व सोनिया के नाम आई। मृतक खातेदार नानगा के कोई पुत्र संतान नहीं होने से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रंगलाल को अपने जीवनकाल में ही चैत्र सुदी नवमी को आम जन समाज व बिरादरी के बीच गोद ग्रहण कर लिया था तथा रंगलाल को अपना दत्तक पुत्र मानकर उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था । मृतक खातेदार नानगा का नुक्ता नेवला दाह संस्कार किया कर्म इत्यादि सारे सामाजिक कार्य रेस्पोंडेन्ट रंगलाल द्वारा ही किये गये थे तथा नानगा की पगडी भी उसके ही बंधी थी जिसकी जानकारी मृतक सोनिया पुत्र टुण्डा को भली प्रकार से थी । रेस्पोंडेन्ट रंगलाल 70 सालों से विवादित भूमि पर काबिज काश्त है क्योंकि सोनिया पुत्र टुण्डा बचपन में 10 –11 साल की उम्र में ही उसके हिस्से की भूमि 100/– रू. में रंगलाल को आई गई करके ग्रम मूण्डिया से इन्दौर चला गया था । ग्रम पंचायत श्रीमा ने मृतकों के विधिक वारिसान की विधिवत

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जॉच की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 282 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रंग लाल के नाम तस्दीक किया था । अपीलान्ट नाथी द्वारा आर.सी. केन्द्र लालसोट में प्रकरण संख्या 421 /14 रेस्पोंडेन्ट रंगलाल के नाम दर्ज करवाया था जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने बाद तफतीश नाथी को मृतक सोन्या की पुत्री होना साबित नहीं पाया तथा प्रकरण असत्य मानकर उसमें एफ.आर. लगा दी । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश सभी पक्षकारों को सुन कर व साक्ष्य सबूत लेकर पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार सोनिया के उत्तराधिकार/ विरासत के संबंध में है । अपीलान्ट मृतक खातेदार सोनिया की पुत्री होने के आधार पर सोनिया की भूमि का नामांतरकरण अपने नाम खुलवाना चाहती है जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रंगलाल अपने आपको मृतक खातेदार नानगा का गोद पुत्र होने एवं मृतक खातेदार सोनिया बचपन में ही गॉव मुण्डिया छोडकर इन्दोर चले जाने से विवादित भूमि पर काबिज काश्त है तथा मृतक खातेदार सोनिया व नानगा की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 282 दिनांक 15.8.2001 ग्रम पंचायत श्रीमा द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रंगलाल के नाम तस्दीक किया है जिसके खिलाफ अपीलान्ट की अपील उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने के समक्ष प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 28.7.2015 द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 282 दिनांक 15.8.2001 ग्रम मूण्डिया, ग्रम पंचायत श्रीमा खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वारिसान की विधिवत जॉच कर पुनः निर्णय पारित करें । तहसीलदार लालसोट ने उप खण्ड अधिकारी लालसोट से प्रकरण उन्हें रिमाण्ड होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित पक्षकारान को नोटिस जारी कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2017 द्वारा उपलब्ध रेकार्ड , प्रार्थी के बयान व गवाहान के शपथ पत्र व लिखित बहस व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व शपथ पत्र व नारथी द्वारा प्रस्तुत आर सी केन्द्र लालसोट में प्रकरण संख्या 421/14 धारा 420, 467, 468, 120 (बी) भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज प्रकरण में लगाई गई एफ.आर. का अवलोकन कर ग्रम पंचायत श्रीा द्वारा ग्रम मुण्डिया का नामांतरकरण संख्या 282 तस्दीक दिनांक 15.8.2001 मजमे आम व ग्रम पंचायत के कौरम के समक्ष स्वीकृत किये जाने एवं अपीलान्ट नाथी बाई द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसे मृतक सोन्या की वारिस घोषित की जावे । प्रकरण मृतक नानगा वल्द नन्दा एवं सोन्या पुत्र टूण्डा के उत्तराधिकार से संबंधित होने से उत्तराधिकार संबंधित निर्णय करने का अधिकार उनके न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से ग्रम पंचायत के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा गया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण मृतक खातेदार नानगा(नाऔलाद फौत) व मृतक खातेदार सोनिया की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 282 ग्रम पंचायत श्रीमा द्वारा दिनांक 15.8.2001 को रंगलाल पुत्र सोनिया के नाम तस्दीक किया है । अपीलान्ट नाथी मृतक खातेदार सोनिया की पुत्री होने के आधार पर सोनिया की भूमि अपने नाम कराना चाहती है । रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता का कथन कि मृतक खातेदार नानगा के कोई पुत्र संतान नहीं होने से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रंगलाल को अपने जीवनकाल में ही चैत्र सुदी नवमी को आम जन समाज व बिरादरी के बीच गोद ग्रहण कर लिया था तथा रंगलाल को अपना दत्तक पुत्र मानकर उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था । मृतक खातेदार नानगा का नुक्ता नेवला दाह

संस्कार क्रिया कर्म इत्यादि सारे सामाजिक कार्य रेस्पोंडेन्ट रंगलाल द्वारा ही किये गये थे तथा नानगा की पगडी भी उसके ही बंधी थी जिसकी जानकारी मृतक सोनिया पुत्र टुण्डा को भली प्रकार से थी । रेस्पोंडेन्ट रंगलाल 70 सालों से विवादित भूमि पर काबिज काश्त है क्योंकि सोनिया पुत्र टुण्डा बचपन में 10 –11 साल की उम्र में ही उसके हिस्से की भूमि 100/– रू. में रंगलाल को आई गई करके ग्रम मूण्डिया से इन्दौर चला गया था । ग्रम पंचायत श्रीमा ने मृतकों के विधिक वारिसान की विधिवत जॉच की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 282 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रंग लाल के नाम तस्दीक किया था ।

दत्तक के संबंध में यह तयशुदा सिद्धान्त है कि नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में ग्रम पंचायत दत्तक का तथ्य तय नहीं कर सकती तथा जो भी व्यक्ति दत्तक के आधार पर उत्तराधिकार चाहता है उसे सक्षम मंच से दत्तक का तथ्य तथा अपने अधिकारों की घोषणा करानी चाहिये थी । दत्तक के संबंध में विभिन्न न्यायालयें ने अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा अन्य किसी आधार पर कोई व्यक्ति विरासतन हक व अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो नियमित वाद के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते हैं । इंतकाल एक संक्षिप्त कार्यवाही है । संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से प्राकृतिक उत्तराधिकारी को अपने हक व अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । तहसीलदार लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2017 मे प्रकरण में मृतक नानगा वल्द नन्दा एवं सोन्या पुत्र टुण्डा के उत्तराधिकार से संबंधित होने से उत्तराधिकार संबंधी निर्णय करने का अधिकार उनके न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होना माना है एवं दूसरी ओर दत्तक रंगलाल पुत्र सोनिया के नाम ग्रम पंचायत श्रीमा द्वारा स्वीकृत प्रश्नगत नामांतरकरण के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हुये पत्रावली फैसल की है, जो विरोधाभाषी है । ऐसी स्थिति मे हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 18.7.2017 को त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रकरण तहसीलदार लालसोट को मृतक खातेदार सोनिया के प्राकृतिक वारिसान की जॉच की जाकर पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट , जिला दौसा दिनांक 18.7.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार लालसोट को मृतक खातेदार सोनिया के प्राकृतिक वारिसान की जॉच की जाकर पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 22.10.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर